अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2022 (GCMS 2022/170)(आईटीआई पोर्टल नं. 212730328902204) ओम प्राकश पुत्र श्री मूला राम जाति नायक आयु 62 वर्ष निवासी वार्ड नं. 07, चांदनी चौक, सुरती आबादी, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 89630–18099) बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओम प्रकाश स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने दिनांक 04.11.2020 उसके पश्चात दिनांक 25.03.2021 को एक प्राथर्ना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया था, जो कि तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर के यहां वास्ते रिपोर्ट भेजा गया। जहां से तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 07.01.2021 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 2589 दिनांक 07.01.2021 पर तैयार किया गया था, की रिपोर्ट एवं सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। उक्त सूचना हेतु उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.04.2022 को एक आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया था, जिसकी सूचना भी उसे उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील पेश कर प्रार्थना की है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी पर 250/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति आरोपित की जावे तथा निःशुल्क अभिलेख की प्रमाणित प्रति उसे उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2020 दिनांक 25.03.2021 को 251 का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो कि तहसीलदार द्वारा अपने क्रमांक 23/7/1/2021 को एसडीएम साहब को भेजा गया जो कि एसडीएम साहब ने 2589—7/1/2021 को दर्ज किया गया, उस पर क्या कार्यवाही हुई और इस प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने ने अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2021/740 दिनांक 16.05.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नासनुसार है :

1	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2020 दिनांक 25.03.2021 को 251 का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो कि तहसीलदार द्वारा अपने क्रमांक 23/7/1/2021 को एसडीएम साहब हो भेजा गया जो कि एसडीएम साहब ने 2589—7/1/2021 को दर्ज किया गया, उस पर क्या कार्यवाही हुई और इस प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदन को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रू॰ में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। अतः आप कार्यलय दिवस/कार्यालय समय में इस कार्यलय में उपस्थित होकर लिखित रूप में स्पष्ट रूप से अवगत करवावें कि आपको किस प्रकरण से संबंधित सूचना की आवश्यकता है ताकि नियमानुसार आपको उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जा सके।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:17 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2022/908 दिनांक 30.06.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> **उपरोक्त विषय में निवेदन है कि** अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र. मूलराम निवासी चांदनी चौक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक 19.04.2022 को प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर हुआ।
>
> अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करना अंकित किया है। प्रार्थी को किस प्रकरण से संबंधित सूचना चाहिए, का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। इस हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2021/740 दिनांक 16.05.2022 द्वारा प्रकरण से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु स्पष्ट रूप से किस प्रकरण से संबंधित सूचना चाहिए, का उल्लेख करने बाबत लिखा गया लेकिन प्रार्थी द्वारा उसके प्रत्युत्तर में कोई भी जानकारी/सूचना इस कार्यालय को नहीं दी गई।
>
> महोदया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 रास्ता से संबंधित है, **जिसमें प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया अनुसार दर्ज किये जाते है एवं मुकद्दमा संख्या/अनवान्/तारीख पेशी जैसी आवश्यक सूचना प्रदान किये बिना प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है।**
>
> अतः अपी[illegible] की कृपा करें। रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में सादर [illegible]
>
> सहायक लोक सूचना अधिकारी
> एवं उपखण्ड अधिकारी
> श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:17 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से उसके पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त कर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उसे वांछित सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:17 IST
Reason: SelfAttested